18-1-19

18.1-19 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी द्वारा मिसल मूल दाखिल
के साथ दिनांक 23-1-19 को पेश
हो।

23-1-19 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी द्वारा मिसल मूल दाखिल
~~को स्पष्ट~~ निर्णय हो जाने से इस स्थगन
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं
रह जाता है। अतः पत्रावली नस्ती
से का होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
[illegible]